उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 10 बैशाख, शक संवत् 1948

(30 अप्रैल, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-वन्दे मातरम् (देखिये नत्थी 'क')।

2-श्री सभापति, विधान परिषद्, सदन के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के तिथिवार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति की संस्तुति सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(संस्तुति की सूचना के लिए देखिये नत्थी 'ख'।)

3-निधन के निदेश।

4-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् घोषणा करेंगे कि-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का तेरहवाँ अधिनियम बना।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का चौदहवाँ अधिनियम बना।

(3) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का पन्द्रहवाँ अधिनियम बना।

(4) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का सोलहवाँ अधिनियम बना।

(5) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का सत्रहवाँ अधिनियम बना।

(6) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का अट्ठारहवाँ अधिनियम बना।

5-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

9-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

10-पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

11-अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-625/52-4-2025-4099/42-2023, दिनांक 13 मार्च, 2026 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026'' को भारत सरकार के आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 की धारा-6(4) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-नेता सदन द्वारा 'नारी सशक्तिकरण' विषय पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-59 (9) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर अनवरत् चर्चा :-

> ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि 'भारत का संविधान' में लैंगिक समानता की अवधारणा प्राविधानित है। महिलाओं को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एन0डी0ए0 सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, परन्तु अभी तक उन्हें संविधान की मंशा के अनुरूप अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका है। राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम, 2023' एन0डी0ए0 की सरकार ने पारित कराया है, परन्तु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इन बाधाओं को चिन्हित कर उनका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु 'नारी सशक्तिकरण' विषय पर 5 घण्टे की चर्चा।''

13-राष्ट्रगान ''जन-गण-मन'' (देखिये नत्थी 'ग')।

लखनऊ :
गुरुवार, 10 बैशाख, शक संवत् 1948
(30 अप्रैल, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

नत्थी 'क'

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-परामर्शदात्री समिति ने अपनी दिनांक 29 अप्रैल, 2026 की बैठक में सदन के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की संस्तुति की है :-

<u>अप्रैल, 2026</u>

30 गुरुवार

(1) निधन के निदेश।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन की मेज पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

(3) महिला सशक्तिकरण पर अनवरत् चर्चा।

नत्थी 'ग'

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।